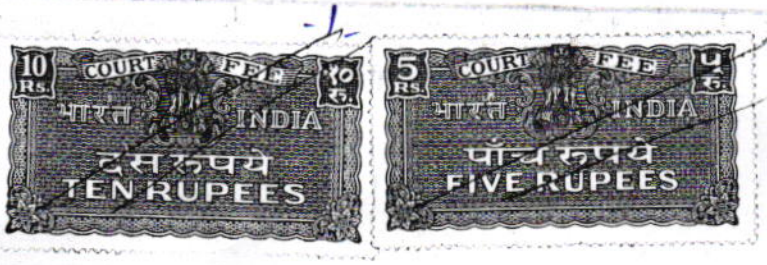

COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES
COURT FEE भारत INDIA पांच रुपये FIVE RUPEES

55

...03 निगरानी
...रण क्रमांक
नामांत्रण
हिस्सा
के

5-III/2003 न्यायालय, माननीय राजस्व मंडल, म0प्र0, ग्वालियर

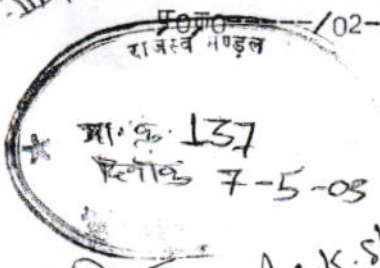

प्र0क्र0 ----/02-03 निगरानी माल -- R-705-III/2003

राजस्व मण्डल
आ0क्र0 137
दिनांक 7-5-03

गयाराम पुत्र हरनारायण, जाति ब्राह्मण

निवासी ग्राम कैमारी, तहसील सबलगढ़

जिला मुरैना म0प्र0- - - - - आवेदक

विरुद्ध

1-ऊंकार पुत्र हरनारायण, जाति ब्राह्मण

निवासी ग्राम कैमारी, तहसील सबलगढ़

जिला मुरैना म0प्र0- - - - असल अनावेदक

2-रामश्री पत्नी पुरूषोत्तम

3-रामभरोसी पुत्र पुरूषोत्तम

4-केशव पुत्र पुरूषोत्तम

5-रामकुमार पुत्र पुरूषोत्तम

6-हरचरण पुत्र पुरूषोत्तम

7-रामलखन पुत्र पुरूषोत्तम

8-भरत पुत्र पुरूषोत्तम

समस्त निवासी ग्राम कैमारी तहसील सबलगढ़

9-मुन्नी पुत्री पुरूषोत्तम पत्नी रामस्वरूप

निवासी ग्राम सिमरोदा परगना सबलगढ़

10-मीरा पुत्री पुरूषोत्तम, पत्नी हरीशंकर,

निवासी खितरपाल, परगना विजयपुर जिला श्योपुर

11-गीता पुत्री पुरूषोत्तम पत्नी कैलाशी,

निवासी अटार, परगना सबलगढ़

12-जाविञी पत्नी केदार

13-नरेन्द्र पुत्र केदार,

14-घनश्याम पुत्र केदार

द्वारा S.K. Sharma आ0नि0 द्वारा पेश
22/04/03
अधीक्षक
वास्ते कलेक्टर जिला मुरैना (म0प्र0)

क्रमांक..........
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज
दिनांक 6-5-03 को प्राप्त
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

R-705.15/03

15-बृजेश पुत्र केदार

16-भूरी पुत्र केदार.

17-मलेश पुत्री केदार

समस्त निवासी ग्राम कैमारी तहसील सबलगढ़

हाल निवासी , नहर केपास, कैलारस, जिलामुरैना

18-चन्द्रकांता पुत्री केदार, पत्नी मातादीन

निवासी ग्राम नैपरी, तहसील कैलारस, जिलामुरैना

-- पूरक अनावेदकगण

न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल संभाग के प्र0क्र041/90-91 अपील माल में पारित आदेश दिनांक 22/1/03 के विरुद्ध आवेदन पुन:रीक्षण, अन्तर्गत धारा 50, म0प्र0 भू रा.संहिता

श्रीमान्

आवेदन पुन:रीक्षण निम्नांकित है :-

1- यह कि अनावेदक क्र. 1 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी सबलगढ़ के समक्ष इस आशय की अपील प्रस्तुत की गई कि ग्राम कैमारी के खाता क्र. 54 की भूमि सर्वे क्र. 46 रकवा 1 बीघा 2 विस्वा, 119 रकवा 1 बीघा 6 विस्वा 155/2 रकवा 2 बीघा 2 विस्वा और सर्वे क्र. 279 रकवा 2 बीघा 15 विस्वा कुल रकवा 7 बीघा 5 विस्वा पर आवेदक ने अनावेदक क्र. 1 की नाबालगी अवस्था में तहसीलदार व पटवारी से सांठ गांठ कर नामान्तरण पंजी क्र. 33 दिनांक 16/5/66 को अपने नाम का नामान्तरण करा लिया है जो अनावेदक क्र. 1 ऊंकार की नाबालगी अवस्था का बेजा लाभ उठा कर कराया है अत: आदेश तहसील नामान्तरण पंजी क्र. 33 दिनांकित 16/5/66 शून्यवत होने से निरस्त किया जावे ।

2- यह कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अनावेदक क्र. 1 द्वारा 16/5/66 को नामान्तरण पंजी क्र. 33 में हुए नामान्तरण के विरुद्ध वर्ष 1989

R 705-पी/03 (मुरैना)

6-9-16

प्रकरण प्रस्तुत हुआ। अवलोकन किया गया। यह निगरानी अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 41/1990-91 अपील में पारित आदेश दिनॉक 22 जनवरी 2003 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत हुई है।

2/ आवेदकगण के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि ग्राम कैमारी के खाता कमांक 54 पर धारित कुल रकबा 7 वीघा 5 विसवा थी जिस पर तहसीलदार सवलगढ़ ने नामांत्रण पंजी के सरल कमांक 33 पर आदेश दिनांक 16-5-66 से पुरूषोत्म आदि का नामांत्रण किया गया। इस आदेश के विरूद्ध गयाराम पुत्र हरनारायण ने अनुविभागीय अधिकारी सवलगढ़ के समक्ष इस आधार पर अपील प्रस्तुत की कि वह नामान्तरण के समय नावालिग था और उसके हिस्से की पेटे की जमीन पर गलत

नामान्तरण किया गया। अनुविभागीय अधिकारी सवलगढ़ ने प्रकरण कमांक 25/88-89 अपील में पारित आदेश दिनॉक 1-1-1991 से नामांत्रण आदेश दिनांक 16-5-66 निरस्त किया तथा उक्तांकित भूमि के हिस्सा 1/6 पर उॅकार का नाम अंकित करने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के समक्ष अपील होने पर प्रकरण कमांक 41/90-91 में पारित आदेश दिनांक 22-1-2003 से अपील अस्वीकार की गई। इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह तथ्य निर्विवाद है कि वाद विचारित भूमि पर तहसीलदार सवलगढ़ ने नामांत्रण पंजी के सरल कमांक 33 पर आदेश दिनांक 16-5-66 से गयाराम, पुरूषोत्म, रामलाल का नामांत्रण किया है जबकि उॅकार का भी वाद विचारित भूमि में हिस्सा 1/6 रहा है किन्तु उसके अल्पवयस्क रहते हुये उसके हिस्से में आने वाली भूमि 1/6 भाग पर पर गयाराम, पुरूषोत्म, रामलाल का त्रृटिपूर्ण ढंग से अल्पवयस्क के हितों के विपरीत नामान्तरण किया गया है जिसे अनुविभागीय अधिकारी ने निरस्त करने में किसी प्रकार की त्रृटि नहीं की है और इन्हीं कारणों से अपर आयुक्त ने अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 41/1990-91 अपील में पारित आदेश दिनॉक 22 जनवरी 2003 विधिवत् होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है। अतः निग्रानी अस्वीकार की जाती है।

सदस्य